

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
:: मंत्रालय ::

आदेश

भोपाल दिनांक 02 जून 2010

क्रमांक एफ 3-14/09/बी-3/दो, राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.01.2010 के द्वारा बैंकों एवं अन्य व्यवसायिक संस्थानों तथा निजी व्यक्तियों को प्रदाय किये जा रहे स्थाई एवं अस्थायी पुलिस गार्ड, आरक्षक से प्रधान आरक्षक तक की दरें निर्धारित की गई थी, एतद् द्वारा अब आरक्षक से निरीक्षक/कंपनी कमाण्डर स्तर के पुलिस अधिकारियों के निम्नानुसार दरें निर्धारित की जाती हैं:-

| क्र. | पदनाम | स्थायी तौर पर प्रदाय गार्ड के लिये वार्षिक, प्रतिव्यक्ति | अस्थायी तौर पर गार्ड के लिये प्रतिदिन, प्रतिव्यक्ति |
|------|------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | निरीक्षक / क०कमा० | 6.00 लाख रुपये | 3400 रुपये |
| 2 | उप निरी० / प्ला०कमा० | 5.50 लाख रुपये | 3100 रुपये |
| 3 | सहा.उप निरी. / से०कमा० | 4.50 लाख रुपये | 2500 रुपये |
| 4 | प्रधान आरक्षक | 4.00 लाख रुपये | 2200 रुपये |
| 5 | आरक्षक | 3.25 लाख रुपये | 1800 रुपये |

2- ये दरें वेतन, भत्ते आदि के साथ पेंशन/अवकाश, वेतन/आर्म्स/एम्प्युनेशन, बिजली, पानी आदि के समस्त खर्चों को शामिल कर निर्धारित की गई है।


3- बिना पद की स्वीकृति प्रदाय किये जा रहे गार्ड को अस्थायी रूप में माना जायेगा।

4- उपरोक्त दर वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिये निर्धारित की गई है। चालू वित्तीय वर्ष की राशि इसी नये दर पर दिनांक 01.04.2010 से प्राप्त की जाये।

5- प्रदाय गार्ड के लिये भुगतान छःमाही तौर पर अग्रिम के रूप में प्राप्त किया जायेगा, परन्तु इसके साथ एक वर्ष की राशि बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगी।

- 6- वित्तीय वर्ष 2011-2012 एवं इसके बाद के लिये वित्त विभाग की सहमति से प्रतिवर्ष के लिये दर गृह विभाग द्वारा 31 दिसम्बर तक निर्धारित की जायेगी।
- 7- उक्त व्यवस्था ऐसी अन्य सभी संस्थाओं के लिये भी लागू होगी जहां बिना कीमत के अथवा अन्य तरीके से निर्धारित दरों पर पुलिस बल उपलब्ध कराने की कोई संवैधानिक/अनुबंध अंतर्गत बाध्यता नहीं है।
- 8- यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू0ओ0 कं0 452/513/ब-8/चार/10,दिनांक 25.05.2010 द्वारा प्राप्त सहमति के परिप्रेक्ष्य में जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(अनिल कुमार)
अपर सचिव
म0प्र0 शासन गृह विभाग

पृष्ठां. कं. एफ 3-14/09/बी-3/दो,

भोपाल दिनांक 02 जून 2010

प्रतिलिपि:-निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
- 2- प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- 3- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
- 4- आयुक्त कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल।


अपर सचिव
म0प्र0 शासन गृह विभाग